फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत सेशन न्यायाधीश, अजमेर
राजस्थान राज्य बनाम अमित जैन
सेशन प्रकरण संख्या 36/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.11.2024	लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्त अमित जैन मय अधिवक्ता श्री दीपक पाराशर उपस्थित। उभय पक्ष की चार्ज बहस सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत चार्जशीट के साथ संलग्न तहरीर रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट, नक्शा मौका, फर्द चैकिंग व दस्तयाबी, धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण-पत्र, सीडी, नाबालिग बालक के चिकित्सकीय दस्तावेजात, कथन गवाहान व अन्य सुसंगत दस्तावेज के अवलोकन से इस स्तर प्रथम दृष्टया अभियुक्त अमित जैन के विरूद्ध धारा 79 किशोर न्याय अधिनियम व धारा 374 भा.दं.सं. का आरोप विरचित किये जाने के पर्याप्त आधार होने से , अभियुक्त को उक्त धाराओं के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये, तो अभियुक्त ने आरोप सुन-समझकर आरोप से इंकार कर अन्वीक्षा चाही। अभियोजन साक्ष्य सूची के गवाहान को निम्न प्रकार से जरिये जमानती वारंट 1,000/-रूपये के तलब किया जावे- दिनांक 20.11.2024 गवाह संख्या 1, 2 दिनांक 21.11.2024 गवाह संख्या 3, 4 दिनांक 22.11.2024 गवाह संख्या 5, 6 पत्रावली साक्ष्य अभियोजन हेतु सर्वप्रथम दिनांक 20.11.2024 को पेश हो।	